f'k{kk 0;oLFkk dh cgrjh d lnHk e cfld f'k{kk ep dk l>ko

दिसम्बर 2014

cfld f'k{kk ep bl ckr l dkQh mRlkgh g fd ekuuh; e[;e=h egkn; ,d ifj"knh; Ldy e x; vkj cPpk l feyA bl l Lkjdkj e Ldyh f'k{kk dh x.koRrk dk ydj fpUrk mHkj dj vk;h gA ;g ,d vPNh ckr gA Ldyh f'k{kk dh x.koRrk l gh lHkh cPpk dk Ldy e ukekdu vkj miflFkfr lfuf'pr gk ldrh gA ,d vkn'k tkjh djd Ldy e x.koRrk dh fuxjkuh dju dh ckr dgh xb gA cfld f'k{kk ep ljdkj l vi{kk djrk g fd Ldy f'k{kk dh cgrjh d fy, ,d 0;kid cnyko dh nh?kxkeh j.kuhfr cuk;h tk,A flQ fuxjkuh l dN Hkh mEehn ugh dh tk ldrh gA bl i;kl e vfHkHkkodk vkj f'k{kdk dk lk>k i;kl dju vkj mud i;kl e lefpr lg;kx dh 0;oLFkk cuku dh t:jr gA

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार का प्रयास तो हो रहा है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों के समायोजन की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार शिक्षकों को सक्षम और उत्साही किया जाए। जब शिक्षक बच्चों के सीख स्तर को नही बढ़ा पाते है तो निराश होकर बच्चों और अभिभावकों को ही दोषी मानने लगते हैं। शिक्षकगण स्कूल व संकुल स्तर पर आपस में राय–मशविरा कर अपनी क्षमता व मनोबल बढ़ा सकते है। इस प्रकार प्रत्येक स्कूल के सक्रिय होने की सम्भावना बनेगी, जो कि सफल हो पाने के प्रत्येक पहल के लिए सरकार के आदेश का इंतजार न करता हो।

पिछले साल प्रदेश में विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन पहले से बेहतर तरीके से हो पाया है। इससे स्कूलों की बेहतरी की काफी संभावना बन सकती थी यदि विद्यालय प्रबंध समितियों के सभी सदस्यों का समय से और बेहतर प्रशिक्षण हो गया होता। यदि शिक्षकों को समुचित सलाह व सहयोग देकर विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित मासिक बैठक करवाया गया होता। माननीय शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी स्वयं विद्यालय प्रबंध समिति के मासिक बैठकों, प्रशिक्षणों में शामिल होकर इसकी महत्ता बढ़ाये होते।

1. *LFkkuh; ikf/kdkjh dh Hkfedk vkj f'kdk;r fuokj.k*

शिक्षा अधिकार कानून में स्थानीय प्राधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु उत्तर प्रदेश के आर.टी.ई. राज्य नियमावली में स्थानीय प्राधिकारी कौन हैं स्पष्ट नहीं है। शिक्षा अधिकार कानून में स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य जिला परिषद, ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से या स्कूल पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली किसी अन्य निकाय से है। परन्तु नियमावली के धारा दो में इसे परिभाषित नही किया गया है। नियमावली की धारा 4–3 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से है। परन्तु शिकायत निवारण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत गठित ग्राम शिक्षा समिति को भूमिका दी गई है। जबकि कानून में शिकायत स्थानीय प्राधिकारी से करने का प्रावधान है। ग्राम शिक्षा समिति में सचिव के रूप शिक्षक हीं होते हैं। किसी अभिभावक को उसी शिक्षक से भी शिकायत हो सकती है।

स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग किया गया परन्तु इससे भी स्पष्टता नहीं मिल पायी। रायबरेली के रामबहादुर व हरिशंकर ने दिनांक 1 अक्टूबर 14 को जन सूचना अधिकारी (सचिव) बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से मांगी गयी है। जिसके

अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी पंचायती राज उत्तर प्रदेश की सेवा में उनके पत्रांक संख्या 4/474/2014–4/282 जन सूचना अधिकारी 2014 दिनांक 7 अक्टूबर 2014 के अनुक्रम में प्रेषित। जिला पंचायत राज अधिकारी रायबरेली से पत्रांक 2324/पं/स्था./ज.सूचना अधिकारी द्वारा सूचना में राज्य की नियमावली की फोटोकॉपी मिल पायी है। जिसमें पहले से स्थानीय प्राधिकारी की स्पष्टता नहीं है। इससे लगता है क्रियान्वयन तंत्र के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है।

रायबरेली जिले में छतोह, राही ब्लाक और प्रतापगढ़ के लालगंज ब्लाक में स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका पर पंचायत प्रतिनिधियों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। कई प्रधानों ने बताया कि कि कई वर्ष पूर्व ग्राम शिक्षा समिति बनी थी। शिक्षा में पंचायत की क्या भूमिका है, यह अभी तक नहीं बताया गया है।

इस असमंजस को समाप्त कर ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला परिषद को शिकायत प्राप्त करने, जांच करने व समुचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए। पंचायती राज व शहरी निकाय को शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी बनाये जाने के अनुसार उन्हें पर्याप्त संसाधन और सलाह दी जाए जिससे कि वे अपने क्षेत्र के सभी बच्चों की बेहतर शिक्षा सम्बंधी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पायें। शिक्षा अधिकार हनन की स्थिति में पंचायती राज व शहरी निकाय से समुचित कार्यवाही की अपेक्षा भी की जा सके।

स्कूल बाहर व नियमित न आने वाले बच्चों की पहचान का कार्य स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी में हो तथा इस कार्य में वोलंटियरों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को जोड़ा जाए। पंचायत के नेतृत्व में ग्राम सभा की खुली बैठक में स्कूल बाहर बच्चों के अभिभावकों को शामिल कर सत्यापन हो तथा बच्चों के स्कूल न जा पाने के कारणों को समझा जाए व उपाय सोचे जाएं। किसी स्कूल के दायरे में रहने वाले हर एक बच्चे को उस स्कूल में बिना किसी शुल्क व बाधा के बेसिक शिक्षा का अवसर मिले।

2. fo|ky; ic/k lfefr

यह काम बेहतर तरीके से तभी हो पायेगा जब सरकार प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक सामुदायिक सहभागिता समन्वयक का पद सृजित करें। ब्लाक स्तरीय समुदाय सहभागिता समन्वयक समिति के गठन उसका प्रशिक्षण और बैठकों के लिए जवाबदेह हो।

1.1 fo|ky; ic/k lfefr d lnL;rk d iko/kku e cnyko

प्रत्येक वर्ष स्कूलों से कक्षा 5 व 8 क बच्चे स्कूलों से निकल जाते हैं। कक्षा 1 और 6 में नये बच्चे आते हैं। परन्तु समिति का गठन दो साल पर होता है। इससे समिति के कुछ अभिभावक सदस्य बिना नामांकित बच्चों के सदस्य बने रहते हैं जोकि कानून का उल्लंघन है। वहीं कक्षा 1 और 6 में नये बच्चे के माता–पिता को समिति में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है।

इसके लिए कानून व नियमावली में कुछ भी नहीं कहा गया, न ही इसके लिए कोई शासनादेश जारी किया गया है। 6 जुलाई 2012 के शासनादेश वि.प्र.स.1192/2012–13 में थोड़ी बात कही गयी है कि प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तद्नुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा मंच का सुझाव है कि सरकार नियमावली में संशोधन कर सदस्यता के बदलाव की प्रक्रिया को व्यवस्थित करे। संशोधन में यह कहा जाए कि जिन अभिभावक सदस्यों के बच्चे अब स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। गठन के बाद शुरू होने वाले सत्र के पहले माह में अभिभावकों की बैठक बुलाकर उन कक्षाओं के अभिभावकों से नये सदस्यों को चयन किया जायगा जिन कक्षाओं से अभिभावक सदस्य समिति में नहीं रहे। इस बैठक के लिए भी कोरम का प्रावधान हो तथा विकास खंड स्तर के किसी अधिकारी की देखरेख में हो।

उदाहरण स्वरूप रायबरेली नगर क्षेत्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकअहमदपुर में 27 अगस्त 2014 को समिति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बैठक की गयी। बैठक में कक्षा 6 के अभिभावकों व समिति के सदस्यों को बुलाया गया और बैठक का उद्देश्य बताया गया। एक वर्ष पूर्ण होने पर कक्षा 8 के बच्चे पास आउट हो गये हैं। समिति में वे ही लोग सदस्य हो सकते हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो। इस कारण समिति के दो पद रिक्त हो गये। कक्षा 7 के अभिभावक सदस्य कक्षा 8 के सदस्य बन गये तथा कक्षा 6 के अभिभावक सदस्य कक्षा 7 के सदस्य बन गये और कक्षा 6 से वर्तमान समय में कोई भी सदस्य नहीं है। जो कक्षा 6 का प्रतिनिधित्व करे। इस कारण आज की बैठक बुलाई गयी है ताकि समिति का गठन किया जा सके। इसके बाद कक्षा 6 के 15 अभिभावकों के मध्य कानून की बातों पर चर्चा की गयी। कानून के बारे में बताया गया तथा समिति के अधिकार एवं कार्यदायित्वों के बारे में बताया गया। फिर प्रधानाध्यापक द्वारा समूह के मध्य बात रखी गयी कि आप लोगों में से कौन से दो लोग (एक महिला और एक पुरूष) है जो स्कूल में अपना सहयोग दे सकते हैं। समिति के सदस्यों को स्कूल के प्रबंधन में अपना सहयोग दें और स्कूल की बेहतरी हेतु मुझे सुझाव दें। इस पर अनुसूचित जाति की महिला मीरा व पुरूष रामचरन जी ने समिति का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति जताई। कक्षा 6 के सभी अभिभावक से सहमति लेकर उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया और पुनः कानून की बातें व समिति के कार्यदायित्व बताये गये तथा इन दोनों सदस्यों ने स्कूल में अपनी सक्रिय सहभागिता का आश्वासन दिया। इस प्रकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकअहमदपुर में समिति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सदस्यों का चयन पुनः जनतांत्रिक तरीके से किया गया।

1.2 *fo|ky; iclk lfefr dk xBu*

वर्ष 2013 में समिति के पुर्नगठन का शासनादेश बेहतर रहा तथा इससे गठन का कार्य बेहतर तरीके से हो पाया। इस दौरान के अनुभव के आधार पर निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं।

अगले वर्ष 2015 में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनः गठन होना। इस काम को मई माह में ही कर लिया जाए। इससे सत्र की शुरूआत से ही नई समिति काम कर सकेगी। समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय में अप्रैल से सत्र शुरू होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा मंच भी इसकी मांग करता रहा है। इससे बच्चों के नामांकन में सुविधा होगी, विशेषकर पांचवी के और स्कूल बाहर बच्चों के। स्कूल खुला होने के कारण शिक्षक पांचवी के सारे बच्चों का कक्षा छः में नामांकन सुनिश्चित करा सकते हैं। सरकार शिक्षकों को इसका दायित्व देकर रिपोर्ट ले सकती है। अप्रैल माह में नामांकन न कराने वाले बच्चों को पहचान शिक्षक मई–जून माह में कर सकते हैं। इससे स्कूल का शिक्षण कार्य बाधित नहीं होगा। जून माह में बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर उपयुक्त कक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है। निजी स्कूल भी अप्रैल माह में ही नामांकन करते है। उनके साथ ही परिषदीय स्कूलों में नामांकन शुरू करने से परिषदीय स्कूलों को पर्याप्त बच्चे मिलेंगें।

विद्यालय प्रबंध समिति गठन के एक माह पूर्व सरकार टेलीवीजन, रेडियो पर प्रसारण, समाचार पत्रों से यह प्रचारित करे कि समिति का गठन होना है। गठन के तरीकों को भी प्रचारित करे। साथ ही सभी ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर हेड शिक्षक व एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को समिति गठन की प्रक्रिया पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाए। सभी प्रतिभागियों को समिति गठन की गाइडलाइन उपलब्ध करायी जाए। संसाधन केन्द्र से लगे स्कूल में उसी दिन दोपहर में समिति गठन करवाया जाए जिससे शिक्षकों को समिति गठन की जनतांत्रिक प्रक्रिया को समझ सकें। कार्यशाला के अन्त में संकुल प्रभारी समिति गठन की तिथि स्कूलवाइज इस प्रकार से तय कराएं कि गठन के दौरान वे उपस्थिति रह पाएं।

विद्यालय प्रबंध समिति गठन सभा का चयनित सदस्यों के साथ फोटोग्राफी करवाकर स्कूलों में बड़ी फोटो लगवाया जाए। इससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा। जब भी फोटो देखेंगे तब उन्हें पुरानी बात याद आयेगी। शिक्षक अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। यदि सम्भव न हो तो समुदाय से इसके लिए सहयोग लिया जा सकता है।

1.3 *fo|ky; izc/k lfefr dh {kerko`f)*

izf'k{k.k dh fLFkfr & वर्ष 2013 में गठित समिति के 3 अभिभावक सदस्यों का दिसम्बर 2013 से लेकर अप्रैल 2014 तक प्रशिक्षण हुआ। फिर अक्टूबर 2014 से समिति के पांच अभिभावक सदस्यों व सचिव का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। आशा है कि यह दिसम्बर 2014 तक हो जायेगा। समिति गठन के कई महीने बीत जाने के बाद प्रशिक्षण मिलने से समिति सदस्यों को भूमिका निभाने में दिक्कत होना स्वभाविक है।

विद्यालय प्रबंध समिति प्रशिक्षण का शासनादेश बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. स्तर पर काफी विलम्ब से पहुंचा। कहीं–कहीं तो मौखिक ही सूचना दी गयी है। जिससे प्रशिक्षक एवं सम्बन्धित अधिकारियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली है।

प्रतिभागिता की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को समय से नहीं दी गयी है। जिससे वह प्रशिक्षण के दिन तक विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों को सूचना देते रहे हैं। कहीं–कहीं तो एस.एम.सी. सदस्यों को सूचना ही नहीं मिली। इससे प्रतिभागिता कम हो पायी। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रशिक्षण उस समय करवाया गया है जब कृषि कार्य जोरों पर था। प्रधानाध्यापक (सचिव विद्यालय प्रबंध समिति) की उपस्थिति तो 90 प्रतिशत तक हो जाती थी पर ठहराव मात्र 5 प्रतिशत ही हो पाती थी। बड़ी न्याय पंचायत होने के बावजूद भी प्रशिक्षण का स्थान एक ही रखा गया है जिससे दूर के सदस्यों की प्रतिभागिता न के बराबर रही है।

अधिकांश जगहों पर 2 दिन का ही प्रशिक्षण हो पाया। प्रशिक्षण में स्कूल विकास योजना निर्माण को लेकर भी क्षमतावृद्धि करनी थी पर बिना फार्मेट व खाका के ही प्रशिक्षण दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबंध समिति कैसे स्कूल विकास योजना बना पायेगी।

विद्यालय प्रबंध समिति प्रशिक्षकों में एन.जी.ओ. के साथियों को भी जोड़ने की बात शासनादेश में कहा गया था। परन्तु उनको जोड़ने पर विशेष प्रयास भी नहीं किया गया। यात्रा भत्ता का प्रावधान न होने के कारण भी अधिकांश एन.जी.ओ. कार्यकर्ता लिए जुड़ना मुश्किल था।

आर.टी.ई. का खुला उल्लंघन करते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया है जिससे दोहरा नुकसान हुआ। कई माह तक शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं कर पाए। बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। साथ ही अन्य शिक्षकों को यह बात सही नहीं लग रही थी की उन्हीं के बीच के साथी उनके प्रशिक्षक बन गये हैं। अतः शिक्षक भी नहीं जुड़ रहे थे।

fo|ky; ic/k lfefr;k d cgrj if'k{k.k d fy, l>ko &

प्रशिक्षक के रूप में शिक्षकों की जगह एन.जी.ओ. को जिम्मेदारी दी जाए। एन.जी.ओ. अपने कार्यकार्ताओं और विद्यालय प्रबंध समिति के चार सदस्यों में से चयनित कर के ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षक दल तैयार करें। इन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण समुदाय सहभागिता के ब्लाक समन्वयक और एन.जी.ओ. कार्यकर्ता मिल कर करें। प्रशिक्षकों के यात्रा व्यय और मानदेय की व्यवस्था हो। प्रशिक्षण समुदाय सहभागिता के ब्लाक समन्वयक और खण्ड शिक्षा अधिकारी के देखरेख में सम्पन्न हो।

विद्यालय प्रबंध समिति गठन के तुरन्त बाद अभिभावक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।

विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं प्रशिक्षण का शासनादेश समय रहते सम्बन्धित लोगों तक पहुंचाया जाये। इसके लिए गठन के आदेश के साथ ही प्रशिक्षण का बजट उपलब्ध करा दिया जाए।

गठन के दिन ही सदस्यों को प्रशिक्षण के तारीख की सूचना दे दी जाए। ऐसा न हो पाने पर प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह पूर्व सूचना मिल जाए जिससे कि वे सभी सदस्यों को समय से सूचना दे पाएं। प्रधानाध्यापक सदस्यों को हिन्दी में मैसेज भेजा जाए। शासनादेश सीधे शिक्षकों के मोबाइल फोन पर भेजा जाए। इससे समय भी बचेगा और स्कूल तक सही जानकारी भी मिल पायेगी।

प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रधानाध्यापक भी शामिल हों और प्रधानाध्यापक और अभिभावक सदस्यों को समिति की प्रभावी बैठक करने का अभ्यास कराया जाए। अभिभावक–शिक्षक साझा प्रयास के संभावना को तलाशा जाए। इससे विद्यालय प्रबंध समिति वास्तव में प्रभावी होगी और स्कूली शिक्षा का विकास होगा।

विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों का प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया है। इसमें प्रशिक्षक की भूमिका में शिक्षक एवं एन.जी.ओ. कार्यकर्ता थे। प्रशिक्षण देने की शुरूआत विभागीय प्रशिक्षक द्वारा की गयी है। जो जनपहल में था उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। बल्कि सदस्यों को अन्य बातों की जानकारी दी गयी। एन.जी.ओ. कार्यकर्ता को भी ज्यादा मौका नहीं देते थे तथा जरूरत की जानकारी देने से रोकते थे। उनके अनुसार सदस्य केवल बच्चों की उपस्थिति कराएं। सरकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण में केवल 1 या 2 दिन ही आते थे। जबकि प्रशिक्षण 3 दिन का था। जब सरकारी प्रशिक्षक नहीं आते थे तो एन.जी.ओ. कार्यकर्ता बेहतर ढ़ग से प्रशिक्षण चला पाते थे। पर समिति सचिवों की उपस्थिति नाम मात्र की होती थी।

विद्यालय प्रबंध समिति का प्रशिक्षण उस समय करवाया जाए जब कृषि कार्य कम हो। यदि न्याय पंचायत बड़ी हो तो दो भागों में दो अलग–अलग स्थानों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए जिससे सभी सदस्यों की समय से प्रतिभागिता हो पाये।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण में इस बात की भी चर्चा हो कि समाज में और स्कूल में किस तरह भेदभाव और सामाजिक दूरी देखी जाती हैं। इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है?

विद्यालय प्रबंध समिति बैठक का डेमो, सदस्य द्वारा शिक्षक से संवाद, समिति सदस्य का समिति सदस्य से संवाद, सदस्य का बच्चे से संवाद का रोल प्ले किया जाए।

प्रशिक्षण में स्कूल विकास योजना का खाका (प्रपत्र) उपलब्ध हो। किसी एक स्कूल में जाकर इसका अभ्यास किया जाए। ऐसा करने से विद्यालय प्रबंध समिति की समझ करने के स्तर पर बनेगी और वह अपने–अपने स्कूल में बेहतर ढ़ग से सहयोग कर पायेंगे।

एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता और समिति सदस्यों को जोड़ने के साथ उनके उनके मानदेय एवं यात्रा भत्ता की भी व्यवस्था की जाए।

लोकमित्र ने 2013 में विद्यालय प्रबंध समिति गठन के दौरान हिन्दी में मोबाइल संदेश मैसेज भेजा था। शिक्षकों एवं सक्रिय विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों, ग्राम प्रधानों को एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी दी गयी कई लोगों ने फोन भी किया और जरूरी जानकारी ली। एस.एम.एस. कुछ इस प्रकार थे–

- *विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का शासनादेश जारी। बी.ई.ओ. से जानकारी प्राप्त करें।*
- *समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिभागिता अनिवार्य।*
- *1 से 3 नवम्बर 2014 में प्राथमिक विद्यालय भदारीकला में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रशिक्षण है आपकी उपस्थिति अनिवार्य। आदि।*

1.4 fo|ky; çcèk lfefr d vfHkHkkod lnL;k dk ldy Lrj ij lxfBr dj vfHkHkkod lfefr d :Ik e lxfBr djd lrr {kerkof) vkj Ldyk d cgrj fuxjkuh dh 0;oLFkk cukukA

अभिभावकों की भागीदारी से स्कूलों के बेहतरी की सम्भावना देखते हुए शिक्षा अधिकार कानून में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान बनाया गया है. बेसिक शिक्षा को बेहतर होने में अभिभावकों की काफी रुचि देखी गई है। राज्य सरकार के स्कूलों में आने वाले बच्चों के अभिभावक मुख्य रूप से वंचित और निर्धन समुदाय के होते हैं. स्कूल को बेहतर बनाने में उनकी क्षमता सीमित होती है. दो वर्ष के कार्यकाल में कुछ एक सदस्यों का दो–तीन दिनों का प्रशिक्षण कराकर हम इनसे बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि समिति के कुछ सदस्य संकुल स्तर पर हर एक–दो माह पर सामूहिक बैठक करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रयासों से सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वंचित और निर्धन समुदाय के बच्चों की शिक्षा को लेकर शिक्षक, शिक्षाधिकारी और शिक्षा तंत्र उतना सक्रिय नहीं हो पाते हैं, जितना की होने की जरूरत है। शिक्षा का हक सभी बच्चों के लिए हकीकत बन पाये, इसके लिए जन आधारित निगरानी की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसलिए विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों का संकुल स्तरीय अभिभावक समिति गठन करने की जरूरत है। इस दिशा में स्वैच्छिक संस्था लोकमित्र के द्वारा सफल प्रयोग किये गए हैं. इस प्रयोग को पुख्ता करने और शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने की जरूरत है।

ldy vfHkHkkod lfefr l fuEu ifj.kke feyx &

- स्कूल बेहतर बनाने के लिए अनुभवों का आदान–प्रदान होगा. स्कूल स्तरीय समस्याओं के निवारण के लिए सामूहिक विचार विमर्श होगा। इससे विद्यालय प्रबंध समिति बेहतर पहल ले पायेगी.
- संकुल समन्वयक स्कूल की प्रगति और जरूरतों से अवगत हो पायेंगें। विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों को नई जानकारियों से अवगत करा सकेंगें। स्कूल की जरूरतों को ब्लाक स्तरीय बैठकों में रख सकेंगें।

- बच्चों के अधिकार हनन की स्थिति में संकुल अभिभावक समिति एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। सोशल ऑडिट और कार्यशालाओं के माध्यम से सभी घटकों के बीच साझी समझ बनाने और सामूहिक पहल को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकती है.
- इस प्रकार स्कूलों के विकेन्द्रित व सहभागी नियोजन की बेहतर व्यवस्था बन सकती है जिसमें भागीदारी एवं समन्वित पहल की संभावना बनेगी। इस तरह के प्रयोग से विद्यालय प्रबंध समिति की तरह संकुल अभिभावक समिति को शिक्षा अधिकार कानून के तहत वैधानिक प्रावधान बनाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी।

vr% ljdkj ls vi{kk gS fd fo|ky; izcU/k lfefr dh rjg ladqy vfHkHkkod eap dks oS/kkfud ekU;rk ns vkSj ladqy eap ds xBu dh fuEu izfØ;k dks vkxs c<k;sA

- संकुल समन्वयक संकुल के सभी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होकर समिति के अभिभावक सदस्यों का संकुल मंच के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों (एक महिला) का चयन करायें। चयनित चार सदस्यों में से कम से कम एक अनुसुचित जाति और एक अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
- इसके बाद संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल मंच के लिए चयनित सदस्यों की बैठक कर के उनमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह–सचिव का चयन सर्व सम्मति से कराया जाए। संकुल समन्वयक संकुल मंच के सचिव हों। उनकी अनुपस्थिति या व्यस्तता में सह सचिव न्यूनतम जिम्मेदारियों को निभायेंगें।
- संकुल मंच की हर दो माह पर बैठके आयोजित हों। इसकी पहल संकुल समन्वयक और मंच के पदाधिकरी करें।

cPpksa ds vf/kdkj guu dh fLFkfr esa ladqy eap dh Hkfedk & शिक्षा अधिकार कानून के तहत के अधिकार हनन की शिकायत स्थानीय प्राधिकारी से की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में यह जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति को दी गई है। परन्तु शिकायत की स्थिति में प्रभावित बच्चों की पहचान को छुपाने की समस्या बनी रहती है। इस स्थिति में संकुल मंच को शिकायत संकलित करने और बच्चों की और शिकायतकर्ता की पहचान को छुपाते हुए हनन की स्थिति को दूर करने का काम हो सकता है। ग्राम शिक्षा समिति को शिकायत निवारण में मदद दी जा सकती है। गंभीर शिकायत और शिकायतों के निवारण न होने की स्थिति में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों व संस्थाओं (बाल संरक्षण आयोग) को अवगत कराया जा सकता है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित बैठकों में संकुल मंच के पदाधिकारियों को शामिल कर ब्लाक स्तर पर जन भागीदारी और समन्वित प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। संकुल संसाधन केन्द्र पर सरकार और सर्व शिक्षा अभियान के सभी गाईडलाइन की एक प्रति हो। ऐसा सभी स्कूलों में भी हो। शिक्षकों से जुड़े पत्रों की प्रति स्कूल स्तर पर नही होने से कई महत्वपूर्ण काम अनुपयुक्त तरीके से बढ़ते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं।

लोकमित्र संस्था के द्वारा पिछले कई सालों से विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों को संगठित कर न्याय पंचायत व ब्लॉक पर अभिभावक मंच बनाकर उन्हें नियमित रूप से शिक्षा बेहतरी में जोड़ने का कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इन प्रयासों के आधार पर सरकार से उपरोक्त अपेक्षा की जा रही है।

2. f'k{kdk dh miyC/krk] eukcy vkj dk;l d ?kVk

2.1 f'k{kdk ij xj 'k{kf.kd dk;l dk cks>

प्रदेश में बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षकों की अत्यधिक कमी के साथ–साथ उनपर गैर शैक्षणिक कार्य का भी बोझ काफी है। यह कानून का भी उल्लंघन है।

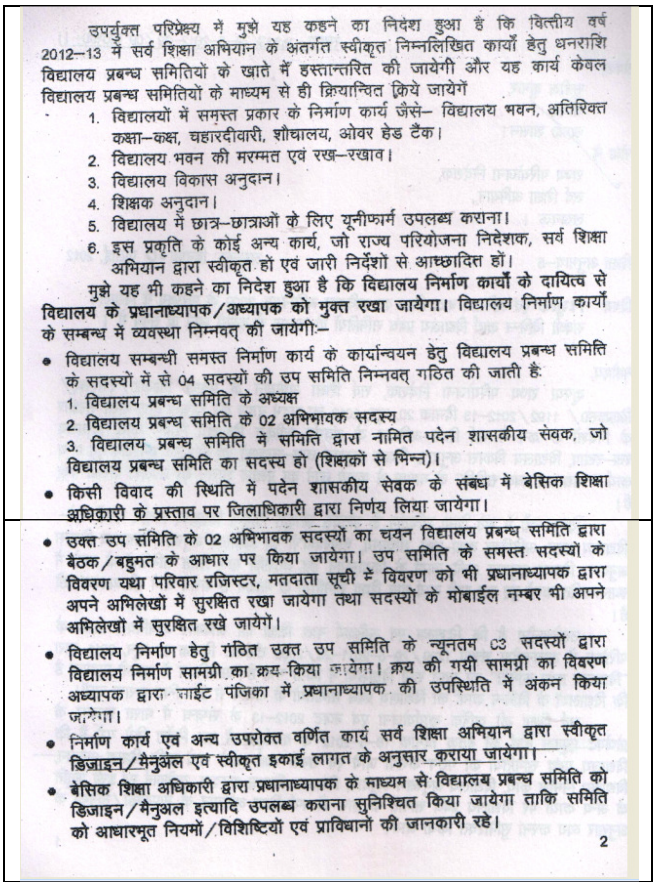

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों हेतु धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी और यह कार्य केवल विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जायेगें

1. विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवर हेड टैंक।
2. विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव।
3. विद्यालय विकास अनुदान।
4. शिक्षक अनुदान।
5. विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए यूनीफार्म उपलब्ध कराना।
6. इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य, जो राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक को मुक्त रखा जायेगा। विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी:–

- विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती है:
  1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
  2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
  3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो (शिक्षकों से भिन्न)।
- किसी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- उक्त उप समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेगें।
- विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा लाईट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत डिजाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।

2

- निर्माण कार्य की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति की उप समिति को दिया गया है, जिसमें शिक्षक से भिन्न समिति में शामिल शासकीय सेवक भी सदस्य है। परन्तु उप समिति के कार्यों में शामिल शासकीय सेवक को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। शिक्षकों और अभिभावक सदस्यों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है। अभिभावक सदस्यों से यह अपेक्षा करना कि वे निर्माण मैनुअल को समझें, क्रय करें, मजदूरी भुगतान का रिकार्ड रखें, उपयुक्त नहीं है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे समस्त रिकार्डों संकलित और अंकित करेंगें। वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षकों खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्माण की जिम्मेदारी दी जाती है। उप समिति को जिम्मेदारी देना औपचारिकता मात्र हो गया है।
- शिक्षकों को प्रशिक्षणों में प्रशिक्षक के रूप में जोड़ा जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण में दो माह तक व्यस्त हो जाते हैं।
- मध्याहन भोजन के संचालन की पूरी व्यवस्था जैसे सब्जी, खाद्यान्न एवं ईधन की व्यवस्था करने में भी शिक्षकों का काफी समय व्यतीत होता है।
- बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. को भी प्रायः तुरन्त संकलित आंकड़े बनाकर भेजने होते है।
- चुनाव के अतिरिक्त मतदाता पुर्ननिरीक्षण के कार्य में कई शिक्षकों की लम्बी डयूटी लग जाती है।
- कई शिक्षक पल्स पोलियो अभियान में डयूटी करते हैं। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की डयूटी में लगाये जाते हैं।
- ए.बी.आर.सी. से मूल काम अकादमिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनसे मुख्य रूप से प्रशासनिक काम लिया जा रहा है।

शिक्षकों को इस तरह के तमाम गैर शैक्षणिक कार्य करने पड़ रहे हैं जिससे उन्हें अपना मूल शिक्षण कार्य करने के लिए समय काफी कम मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा मंच की मांग है कि शिक्षकों को कानून के तहत मिले स्वीकृत तीन कार्य (चुनाव, आपदा, जनगणना) के अलावा अन्य काम में नही लगाया जाए।

शिक्षकों को रिकार्ड रखने, डाटा एकत्र करने और रिपार्ट करने के लिये शिक्षकों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए तो उनका समय बच सकता है। या फिर प्रत्येक संकुल में इस कार्य के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद हो सके इसके लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश व जिम्मेदारी दें।

2.2 f'k{kdk dh fu;fDr o lek;kt u

उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक स्कूलों को शिक्षकों की कमी की मार को झेलना पड़ रहा है जिस कारण बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो सपना सरकार ने देखा है वह शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। बच्चों के जिस सर्वांगीण विकास के लिए सरकार जिम्मेदार है वह विकास शिक्षकों की कमी के चलते पूरा होना असम्भव सा प्रतीत होता है।

यदि शिक्षकों की कमी पर गहनता से विचार किया जाये तो नगर क्षेत्र के हालात ग्रामीण क्षेत्रों से भी खराब है क्योंकि लगभग कई वर्ष पूर्व शासनादेश जारी किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा और न ही नगर में शिक्षकों की नियुक्तियां की जायेगी। 2011 में ग्रामीण से नगर में शिक्षकों के स्थानान्तरण का आदेश आया था और फिर पुनः रोक लगा दी गयी थी।

दो जिलों के नगर क्षेत्र में यदि शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान दें तो पता चलता है कि लखनऊ में 340 विद्यालयों में से 10–12 विद्यालय ही मानक की पूर्ति करते हैं तथा रायबरेली में 51 विद्यालयों में से 6–7 विद्यालय ही मानक की पूर्ति करते हैं। ऐसे में सरकार बच्चों की शिक्षा को कैसे सुनिश्चित करायेगी ये समझना बड़ा कठिन काम है।

रायबरेली नगर क्षेत्र में सितम्बर 2014 में नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पूरे कल्लू के समिति सदस्यों, बच्चों एवं सभासद ने जिलाधिकारी से शिक्षक की मांग की। इसके परिणामस्वरूप जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या एवं नियुक्ति शिक्षकों की सूची मांगी। इसके आधार पर मुख्य सचिव से समायोजन की मांग करने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा एक बेहतर प्रयास किया गया परन्तु हालात तो कुछ और ही स्थितियां पैदा कर रहे हैं। नगर क्षेत्र के 4 शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण पूरा कर परीक्षा देने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया और समस्त 18 शिक्षामित्रों को परीक्षा का परिणाम आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जायेगा। यह काम जनवरी 2015 तक होने की संभावना हैं। जून 2015 में करीब 8 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऐसे में नगर क्षेत्र से 26 शिक्षक कम हो जायेंगे। जिससे स्थितियां और भी खराब हो जायेंगी। कुछ विद्यालयों में से प्रधानाध्यापक व एक मात्र शिक्षामित्र है, दोनो ही जून 2015 तक विद्यालय से चले जायेंगे और विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाएगा।

लखनऊ नगर क्षेत्र के लगभग 80 शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जायेगा तथा 5–6 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। इससे लखनऊ नगर क्षेत्र के भी हालात और भी खराब होंगे।

इन सभी हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार नियम बनाए जिससे कि सभी स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों का साथ मिल पाए। तथा नियमों में इतना लचीलापन रखा जाये कि यदि ऐसी स्थितियां बन जाती है तो बी.एस.ए. बच्चों की सीख व विकास को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्णय ले सकें ताकि सभी बच्चों को उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हक मिल पाये।

2.3 *Ldyk d fuxjkuh vkj lg;kx 0;oLFkk dk çHkkoh cuku d fy, ifj;kt uk çLrko*

स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अपने स्कूलों के निगरानी और सहयोग की जो वर्तमान व्यवस्था है, उससे स्कूलों को बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद नहीं मिल पा रही है। शिक्षा अधिकार कानून विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से स्कूलों के बेहतरी की बात करता है। परन्तु सरकार के तरफ से स्कूलों के निरीक्षण में विद्यालय प्रबंध समिति को शामिल नहीं किया जाता है। निगरानी के दौरान यह भी ध्यान नही दिया जा पा रहा है कि शिक्षक समूह को कहां दिक्कत हो रही है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है।

आमतौर पर शिक्षा तंत्र व अन्य सरकारी अधिकारी शिक्षकों को लापरवाह मानते हुए औचक निरीक्षण के माध्यम से भय पैदा करते हैं। इससे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षक बच्चों के साथ बिना भय दंड के काम करने के लिए प्रेरित होंगें। औचक निरीक्षण के दौरान बच्चों के सीख स्तर की इस प्रकार से जांच की जाती है कि शिक्षा अधिकार कानून की मंशा का हनन हो जाता है। सवाल पूछने का तरीका जैसा होता है उससे समझ कर सीखने की मंशा को भी बढ़ावा नहीं मिल पाता है। बच्चों के सामने शिक्षक की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा जा पाता है।

Ldyk d fuxjkuh 0;oLFkk dk iHkkoh cuku d fy, fof'k"V l>ko

- स्कूलों के औचक निरीक्षण को कम कर दिया जाए और पूर्व निर्धारित तारीखों में शिक्षातंत्र व सरकार से जुड़े व्यक्ति पर्यवेक्षण करें तथा इसके लिए एक गाईडलाइन हो।

- निरीक्षण/पर्यवेक्षण की गाईडलाइन ऐसा हो जो कि विश्वास, सहभागिता, सामूहिक जिम्मेदारी, सतत सीखना और शिक्षक की गरिमा को बढ़ाने पर आधारित हो। स्कूल को आगे बढ़ने में मदद करने वाला हो, स्कूल के संस्थागत विकास, आपस में सीखते हुए बढ़ने की व्यवस्था और स्थानीय जवाबदेही को बढ़ाने वाला हो। यदि शिक्षा तंत्र के अलावा अन्य किसी विभाग के अधिकारी के जाने की जरूरत हो तो उन्हें भी तय गाईडलाइन का पालन करना हो।

- पूर्व निधारित निगरानी प्रक्रिया की गाईडलाइन के तहत शिक्षकों को पहले से यह मालूम हो कि पर्यवेक्षणकर्ता शिक्षण प्रक्रिया को देखेंगें। जैसे कि पर्यवेक्षणकर्ता सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक से पिछले निगरानी में तय कामों में पहल और नये प्रयासों के बारे में जानेंगें। फिर किसी एक दो कक्षा में प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए देखेंगें। कुछ बच्चों से समूह में चर्चा कर के उनके माध्यम से उनके सीखने के प्रयास और उसमें आ रही दिक्कतों को समझने का कार्य करेंगे। बच्चों के नजर से स्कूल क्या बेहतर हो रहा है, और क्या बेहतर करने की जरूरत है, इसे जाना जाए।

- शिक्षक समूह और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, अभिभावकों से चर्चा कर के समस्याओं और उनके प्रयासों के बारे में जानें तथा मदद करें कि शिक्षक समूह और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों स्कूल के प्रबंधन व शिक्षण प्रक्रिया में बेहतरी के लिए दो बातें सोच पाएं।

- विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का अवलोकन किया जाए और बैठक को प्रभावी बनाने का प्रयास हो। समिति से सुझावों व समस्याओं को लेकर आएं जिस पर शिक्षा तंत्र को विचार करने और पहल करने की जरूरत है। अंत में शिक्षक समूह को स्कूल बेहतरी के लिए कार्ययोजना तय करने के लिए प्रेरित करें।

2.4 *f'k{kdk dk mRlkgh dju] mudh l{kerk vkj eukcy dk c<ku d fy, l>ko*

lo f'k{kk vfHk;kku d iko/kku d vu lkj l dy Lrj ij f'k{kdk dh nl ekfld cBdk dk fu;fer vkj iHkkoh cuk dj f'k{kdk d eukcy vkj igy dk c<kok nu dh t:jr gA स्कूल के माध्यम से बच्चों को दुनिया को समझने का और बेहतर दुनिया बनाने का मौका मिले, इसके लिए ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो कि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर देते हों तथा उस प्रक्रिया में स्वयं भी आनन्द की अनुभूति करते हों।

- पिछले तीन सालों से संकुल स्तर पर नाम मात्र की बैठकें ही हो पा रही हैं। संकुल स्तर पर शिक्षकों की बैठकों से उनमें अपने पेशे के प्रति गरिमा, पेशेगत उत्कृष्टता के प्रति ललक और आपस में मिल कर सीखते हुए प्रभावी शिक्षक बनने को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे शिक्षक रचनात्मक प्रयास करेंगें और बच्चों को सीखते हुए देखेंगे तो वे अपने कार्य में आनन्द की अनुभूति करेंगें तथा उत्साही होंगें। संकुल स्तर पर शिक्षकों के लिए पुस्तकें और गतिविधि बनाना सीखने के लिए सामग्री उपलब्ध करा कर इस प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इन बैठकों के लिए बजट की उपलब्धता न होने पर भी निम्नलिखित प्रयास हो सकते हैं।

- संकुल स्तरीय बैठकों में शिक्षकों को अपने स्कूल के नवाचार को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। जैसे कि – सतत् और समग्र आंकलन, बेहतर शिक्षण प्रकिया, शिक्षकों का आपस में समीक्षा और नियोजन, समिति की प्रभावी बैठकें करवाना, शैक्षिक नवाचार, शिक्षण सहायक सामग्री, बच्चों की भागीदारी से स्कूल में स्व–अनुशासन और समूह में सीखने का माहौल बनाना, बालमंच, पुस्तकालय की प्रभावी व्यवस्था, बच्चों के सीखने में अभिभावकों को सहभागी बनाना, आदि। संकुल स्तर पर शिक्षक समूह मिल कर तय करें कि वे किन नवाचार को ब्लाक और जिले स्तर पर शेयर करने के लिए भेजा जाए। इन चयनित नवाचारों से जुड़े शिक्षकों को ब्लाक और जिले पर आमंत्रित कर शेयर करने का मौका दिया जाए। बाद में कुछ नवाचारों को संकलित कर प्रकाशित किया जाए और सभी स्कूलों को भेजा जाए। ये कार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से बढ़ाये जाएं।

- संकुल समन्वयकों के गैर अकादमिक कार्यों में व्यस्तता को देखते हुए उत्साही शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। शिक्षक समूह आपस मे तय कर के बैठकों के सुगमकर्ता का चयन कर सकते हैं।

- संकुल संसाधन केन्द्र को एक लैपटॉप (डाटा कार्ड के साथ) उपलब्ध कराने से शिक्षक समूह को संदर्भ सामग्री से जुड़ने का मौका मिलेगा। लैपटॉप का इस्तेमाल संकुल स्तरों पर डाटा के संग्रह और बेहतर रिपोर्टिंग में भी किया जा सकता है।

2.5 fo|ky; j[k&j[kko o fodkl vuqnku

करीब पिछले दस सालों से विद्यालय रख–रखाव व विकास अनुदान की राशि को नहीं बढ़ाया गया है। इस साल शिक्षकों को टी.एल.एम. के लिए मिलने वाली राशि भी नहीं मिलने की चर्चा है। कभी–कभी पुस्तकालय जैसी जरूरतों के लिए पैसे भी मिलते हैं। इन हालातों में स्कूल की कई बुनियादी जरूरतों की पूर्ति नही हो पाती है। जैसे कि ब्लैकबोर्ड की मरम्मत, चाक, बच्चों के बैठने के लिए चटाईयां, चार्ट पोस्टर, बच्चों की जरूरतों के अनुसार किताब–कापी, बच्चों के सतत् आंकलन के लिए कागज व प्रपत्र, आदि। कई बच्चों को अपने परिवार से पर्याप्त कापी भी नही मिल पाता है। अतः सरकार से अपेक्षा है कि स्कूल शिक्षा अधिकार कानून के मंशा के अनुसार सभी बच्चों के सीख को बनाने के लिए प्रयास कर पाये, इसके लिए स्कूलों को प्रत्येक साल समुचित अनुदान मई माह में ही उपलब्ध कराया जाए। अनुदान की राशि लगभग पच्चीस हजार हो और उसका बटवारा कुछ इस प्रकार हो।

	राशि	उपभाग के मद	कुल
प्रति बच्चा	150 रूपये	कापी, पेन, बैठने की व्यवस्था, टी.एल.एम., पुस्तकालय की किताबें, सतत् आंकलन के लिए कागज व प्रपत्र, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि।	सौ बच्चों पर 15,000 रूपये
प्रति कक्षा	1,500 रूपये	ब्लैकबोर्ड, चाक–डस्टर, चार्ट पोस्टर, आलमारी, शिक्षक के लिए कुर्सी, मामूली मरम्मत, आदि।	पांच कक्षा के लिए 7,500 रूपये
स्कूल कैम्पस	7,000 रूपये	बागवानी, खेल का मैदान, खेल सामग्री, नल मरम्मत, मध्याह्न भोजन के लिए बर्तन, रास्ता, रंगाई व मरम्मत, आदि	7,000 रूपये

3. *cPpk dk ukekdu*

Ldy ckgj cPpk dk Ldyh f'k{kk l tkMuk & उत्तर प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के लिए पी.ए.बी. की 27 मार्च 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार मात्र 78,099 बच्चे स्कूल बाहर थे और इतने हीं बच्चों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जबकि अन्य आंकड़े यह बताते हैं कि करीब 20 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कक्षा 5 से निकल कर कक्षा 6 में नाम लिखाने के दौरान ही करीब 25% बच्चे कम हो जाते हैं। वर्ष 12–13 में कक्षा 6 में नामांकित बच्चे कक्षा 5 से करीब 11 लाख कम थे।

स्रोत	कुल बच्चे	स्कूल बाहर	कभी नामांकित नहीं	ड्रॉप आउॅट	नामांकित पर स्कूल नहीं गये
EdCIL-SSA Study of 2014 for MHRD ¼भारत में 6–13 आयु के स्कूल बाहर बच्चों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण½	4,13,28,812	16,12,285 **(3-9%)**	8,65,441	4,66,849	2,79,995
tux.kuk 2011 6–14 आयु के बच्चे	4,64,17,840	93,19,550			
tux.kuk 2011 5–14 आयु के बालश्रम से जुड़े बच्चे		कुल बालश्रमिक 21,76,706	8,96,301 Main Worker	3,26,140 (< 3Months)	9,54,265 (3 to 6 Months)
लोकमित्र द्वारा रायबरेली जिले के 30 स्कूलों के दायरे में स्कूल 7 से 14 साल के बच्चों का सर्वे मई 2014 में किया गया। स्कूल बाहर 110 बच्चों की पहचान हुई, औसतन प्रति स्कूल 4 बच्चे स्कूल बाहर हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 1,75,000 स्कूल हैं तो पूरे प्रदेश में स्कूल बाहर बच्चों की संख्या 1,75,000X4 कुल 7,00,000 (सात लाख) बच्चे स्कूल बाहर हो सकते हैं।					

अन्य प्रदेश से आये प्रवासी परिवार या प्रदेश के अन्दर ही प्रवासी परिवार प्रायः बिना किसी स्थायी निवास के रहते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों की संख्या भी लाखों में हो सकती है। एक ईंट भट्टे पर 6 से 14 वर्ष के करीब 20 बच्चे हो सकते हैं। प्रदेश में करीब 6,000 ईंट भट्टे हैं। इस प्रकार भट्टों पर करीब 1 लाख से ज्यादा स्कूल बाहर बच्चे हो सकते हैं। लखनऊ शहर में असम राज्य से आये कई हजार बच्चे हो सकते हैं जो कूड़ा बिनने जैसे कार्यों से जुड़े हैं।

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है। सर्वे कार्य की जिम्मेदारी परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों की होती है। सर्वे करने में काफी कमी रह जाती है। इससे गैर नामांकित और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का सही आंकलन नहीं हो पाता है। सर्वे की प्रक्रिया में निम्न कमियां दिखती हैं। यह कार्य जुलाई–अगस्त में किया जाता है जिससे बच्चों की पढ़ाई महीनों बाधित रहती है। शिक्षक समूह काफी परेशान होते हैं, कौन सर्वे करें, कौन शिक्षण कार्य करे। मजबूरी में कई शिक्षक पिछले वर्ष के सर्वे की सीमित जानकारी के आधार पर सर्वे कर लेते हैं। लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक ही घर–घर जाकर सर्वे करते हैं। यदि किसी भी स्थिति में गांव गये भी तो एक या दो स्थानों पर बैठकर कुछ लोगों से जानकारी लेकर सर्वे कार्य कर लिया जाता है। कई बच्चे घर विहीन होते हैं या माता–पिता के साथ प्रवास पर गये होते हैं। वे भी छूट जाते हैं। विभाग स्कूल, ब्लाक जिले और राज्य स्तर पर स्कूल बाहर बच्चों का आंकड़ा सार्वजनिक करने और नागरिकों से सत्यापन कराने का भी कार्य नहीं किया जाता है।

cfld f'k{kk epp dk ;g l|>ko g| fd & शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों की सूची और उनकी स्कूली शिक्षा से संबंधित जानकारी को स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से लिया जाए। इसके लिए स्थानीय प्राधिकारी को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वे मानदेय पर वोलंटियर रख कर यह कार्य करा पाएं। वोलंटियरों के प्रशिक्षण और उनके कार्य की गुणवत्ता के निगरानी की जिम्मेदारी शिक्षकों के पास हो। वोलंटियर आवंटित क्षेत्र का सहभागी तरीके से नजरी नक्शा बना कर सर्वे करें। प्रत्येक घर को एक नम्बर दिया जाए। अस्थायी निवास को भी इंगित किया जाए। प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट पहचान दे कर उसके स्कूली शिक्षा की जानकारी को प्रत्येक साल अद्यतन किया जाए।

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक में स्कूल बाहर बच्चों के आंकड़े को सार्वजनिक करे तथा इसमें कोई कमी रह गई है तो उसे दूर करे। नगर क्षेत्र में वार्ड स्तर पर या स्कूल स्तर पर बैठक हो। तथा शिक्षा पर बड़ी सभा करके सुनिश्चित किया जाए कि कोई बच्चा छूट तो नही गया है। ग्राम पंचायत सर्वे के आंकड़े को क्षेत्र पंचायत को सौंपे। क्षेत्र पंचायत के माध्यम से संकलित आंकड़ा जिले स्तर पर संकलित हो तथा जिले पर शिक्षा समिति के बैठक में चर्चा हो। स्थानीय प्राधिकारी और सरकारी विभाग उन सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें जो बच्चों की शिक्षा में रुकावट डालते हों। सरकार स्कूली सत्र को 1 अप्रैल से शुरू कर रही है तो सर्वे का कार्य मई जून में कर लिया जाए।

4. Ldyh f'k{kk iku e cPpk dh ck/kkvk dk nj djuk

4.1 cPpk dk othQk u feyu d lnHk e

नवम्बर माह में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 6–14 वर्ष के बच्चों को अब राज्य सरकार वज़ीफा नहीं देगी। इस खबर से बच्चों व अभिभावकों में घबराहट पैदा हुई है। बेसिक स्कूलों में इस समय जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वे अत्यन्त गरीब परिवार के होते हैं। इनके माता–पिता लगातार अपनी रोजी–रोटी से जूझते रहते हैं। विभाग द्वारा बच्चों को किताबें तो निःशुल्क मिल जाती हैं। किन्तु लेखन सामाग्री (कॉपी, पेन्सिल, पेन, रबड़) की व्यवस्था अभिभावक को करनी होती है। गरीब तबके का अभिभावक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि कि प्रति बच्चा सालाना न्यूनतम 1 हजार तक अन्य खर्च आते हैं।

d{kk 3 l 5 rd i<u okyl ,d cPp ij [kp dk fooj.k					d{kk 6 l 8 rd i<u okyl ,d cPp ij [kp dk fooj.k				
क्रमांक	मद	मात्रा	दर	धनराशि	क्रमांक	मद	मात्रा	दर	धनराशि
1	कॉपी	20 पीस	20	400	1	कॉपी	30 पीस	20	600
2	पेन	10 पीस	10	100	2	पेन	20 पीस	10	200
3	स्वेटर	1 पीस	300	300	3	स्वेटर	1 पीस	300	300
4	स्कार्फ	1 पीस	30	30	4	स्कार्फ	1 पीस	30	30
5	जूता	1 जोड़	200	200	5	जूता	1 जोड़	250	250
6	मोजा	1 जोड़	30	30	6	मोजा	1 जोड़	40	40
7	बैग	1 पीस	100	100	7	बैग	1 पीस	200	200
8	चप्पल	1 जोड़	80	80	8	चप्पल	1 जोड़	80	80
	कुल			1240		कुल			1700

वज़ीफा मिलने पर बच्चों व माता–पिता को शिक्षक व विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल ड्रेस की साफ–सफाई करने व लेखन सामाग्री खरीदने हेतु प्रेरित कर सकती है कि जो वज़ीफा मिला है उससे बच्चों हेतु कॉपी, पेन्सिल खरीदे सकते हैं। स्कूल ड्रेस की साफ–सफाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा बच्चों को वजीफा मिलने से उपरोक्त चीजे खरीदने में थोड़ी मदद मिल जाती थी। वजीफा न मिलने से पूरा खर्चा गरीब अभिभावकों को पूरा करना पड़ेगा जो लोग नहीं पूरा कर सकेंगे। उनके बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से हट सकते हैं। ऐसी स्थिति में आर.टी.ई. का उल्लघंन होगा। क्योंकि आर.टी.ई. में कहा गया है कि कानून उन सभी बाधाओं दूर करेगा जो बच्चों की शिक्षा में आड़े आयेगी।

जब शिक्षक बच्चों के बीच शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं उस दौरान बच्चों के पास लेखन सामाग्री का अभाव होने पर शिक्षक खीझ जाते हैं और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है जो कि उनके अधिकारों का हनन है। बच्चों को छमाही व सालाना परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका की जरूरत पड़ती है।

प्रदेश में बहुत कम परिवारों को मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार उपलब्ध हो पाता है। इस कारण से भी काफी बच्चों को आय अर्जन के कार्य में माता–पिता का सहयोग करते हैं। सरकार वज़ीफा बन्द कर रही है तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता को मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराए।

4.2 *e/;kUg Hkkstu*

परिषदीय स्कूलों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से हैं। बच्चों को यदि स्कूल में दोपहर का गुणवत्तापरक भोजन मिलना जरूरी है। इससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास बेहतर ढ़ग से होगा। परन्तु प्रदेश में बच्चों के भोजन करने के दिन और प्रतिशत काफी कम है। (170 दिन और 50प्रतिशत)। कन्वर्जन कास्ट के अभाव में कभी–कभी तो महीनों मध्याहन भोजन नहीं बन पाता है। अगर कहीं बनता है तो शिक्षक या प्रधान स्वयं से पैसा खर्च करते हैं या अन्य मद से उधार के रूप में लिया जाता है। बच्चों की उपस्थिति काफी कम रहती है और बाहरी दबाव में उपस्थिति बढ़ाकर दिखायी जाती है। मात्र 10 प्रतिशत स्कूलों में मेन्यू एवं गुणवत्ता ठीक रहती है। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों को को बुलाकर मध्याहन भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन नहीं करवाया जाता है। बच्चों को लंच समय में मध्याहन भोजन नहीं मिल पाता हैं। स्कूलों में थाली, गिलास की व्यवस्था नहीं है बच्चों को घर से लाना पड़ता है। हाथ धोने एवं पानी लेने के लिए छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे तो पानी के अभाव में बिना साफ–सफाई के मध्याहन भोजन ग्रहण कर लेते हैं।
स्कूलों में उम्मीद की जाती है कि यहां से भेदभाव खत्म होगा। फिर भी स्कूलों में भेदभाव देखने को मिल जाता है। दलित एवं मुस्लिम रसोइयों की नियुक्ति कम है। जहां पर है भी वहां पर मध्याहन भोजन बनाने से इन्हें दूर रखा जाता है। यह केवल साफ–सफाई का कार्य करतीं हैं। दलित एवं मुस्लिम बच्चों के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, जैसे कि दूर बैठो, बाल्टी, लोटा, भगोना आदि छूना नहीं, थाली में दूर से खाना परोसना, बात–बात पर डांटना आदि।

करीब आधे बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल पर रहा है। प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की स्थिति को देखते हुए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और मध्याहन भोजन की काफी आवश्यकत है। इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

e/;kgu Hkkstu dh 0;oLFkk cgrj djus ds fy, fuEu lq>ko gSA

fo|ky; izca/k lfefr dks ftEenkjh nsuk & मध्याहन भोजन की व्यवस्था संचालित करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति को सौंपा जाए। समिति में 11 अभिभावक होने से यह उम्मीद की जा सकती है कि अधिक लोग होने से व्यवस्था बेहतर होगी। सदस्य अपने बच्चों के मध्याहन भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट के खाते का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा हो। समिति सदस्य ही राशन, सब्जी, मसाला, तेल, ईधन लाने की जिम्मेदारी लें। इस काम में शिक्षक को नहीं जोड़ा जाए। एक माह का कन्वर्जन कॉस्ट एडवांस में दिया जाए। समिति के माध्यम से कोटेदार के यहां से अनाज स्कूल आए। समिति ही रसोइयों का चयन करे जिससे कि उनकी समयबद्धता एवं जवाबदेही समिति सुनिश्चित कर सके। ग्राम प्रधान (ग्राम पंचायत) / वार्ड सदस्य (वार्ड समिति) को सिर्फ निगरानी की जिम्मेदारी दी जाए। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के दिन समिति सदस्य भोजन व्यवस्था की जांच करें व भोजल चखें। बच्चों से जानकारी प्राप्त करें। विद्यालय प्रबंध समिति अपने में

तीन समूह बनाकर मध्याहन भोजन सम्बन्धी जिम्मेदारी अलग–अलग ले सकती है। मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी के साथ ही साथ सदस्यों की नजर बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति पर भी जायेगी।

f'k{kd dh Hkfedk & शिक्षक विद्यालय प्रबंध समिति को नियम से अवगत कराने और रिकार्ड रखने का कार्य करें। शिक्षक ही रिपोर्ट भेजने का कार्य करें।

xke ipk;r dh Hkfedk & पंचायत इस व्यवस्था की निगरानी करे। शिक्षक व समिति से जानकारी ले तथा संबंधित विभाग को अवगत कराये तथा बाधाओं को भी दूर करने का कार्य करे।

cPpk d fy, Fkkyh] fxykl & स्कूलों में ग्राम पंचायत के माध्यम से बच्चों के लिए थाली, गिलास की व्यवस्था करायी जाए। बच्चों का घर से से लाने में दिक्क्त होती है। इस संदर्भ में रायबरेली में अभिभावक मंच द्वारा यह मांग की गई। जिलाधिकारी द्वारा सितम्बर 2014 में बी.डी.ओ. की बैठक करके सभी ग्राम प्रधानों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया गया कि वें स्कूलों में गिलास एवं थाली की व्यवस्था करें। आदेश के एक माह बाद बच्चों को थाली एवं गिलास मिल गया है। यह बर्तन स्कूल में रखे जाते हैं। बच्चे स्वयं साफ–सफाई कर व्यवस्थित रखते हैं। इससे जातिगत व धार्मिक भेदभाव दूर करने में मदद मिल रही है।

बेहतर निगरानी के लिए निगरानी संबंधी आंकड़े को वेब साईट पर सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के दैनिक अनुश्रवण हेतु आई०वी०आर०एस० आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली लागू किया गया है। परन्तु इस अनुश्रवण से प्राप्त जानकारी सभी को उपलब्ध नहीं है। इसके बिना इस अनुश्रवण का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक तीन माह पर स्कूल, ब्लाक और जिले स्तर पर अनाज के उपभोग और कन्वर्जन कॉस्ट को आपस में मैच करा कर देखा जाए कि वे अनुपात में हैं कि नहीं।

बेहतर प्रबंधन के लिए मिड–डे मील (पीएबी–एमडीएम) की कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड की 28 मार्च 2014 को आयोजित बैठक कार्यवृत्त के अनुसार तय किये गये उपायों को लागू किया जाए, जैसे कि कर्मचारियों की नियुक्ति आदि। कम से कम 80 प्रतिशत बच्चे 200 दिन भोजन कर पाएं, ऐसा प्रयास किया जाए। बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कवरेज को 59 प्रतिशत से बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

4.3 cPpk d i<uk lh[k iku dh lHkkouk dk c<ku d fy, mi;Dr iLrd o ikB &
कक्षा 3 से 5 तक तक पहुंचते–पहुंचते बच्चों के अलग–अलग सीख स्तर वाले कई समूह बन जाते हैं। आधे से अधिक बच्चे अपनी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। अतः कक्ष 3 से 6 तक के लिए दो तीन स्तरों की कार्यपुस्तिका बनायी जाए जोकि बच्चों को पढ़ना सीखने में मदद करे। शिक्षक इन बच्चों के साथ कार्यपुस्तिका पर कार्य करवायें।

f’k{kk vf/kdkj dkuu ij d{kk 3 ;k 4 e ikB dk gkuk & बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है जो एक ऐतिहासिक बात है। इस कानून के माध्यम से सभी बच्चों के सीखने के हक को कानूनी मान्यता मिली है। अपने अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को भी भागीदार बनाना अंर्तराष्ट्रीय मानक है। इस हक को बढ़ावा देने में शिक्षक, शिक्षातंत्र के साथ–साथ विद्यालय प्रबंध समिति, अभिभावक, स्वयं बच्चे व पूरा समाज जिम्मेदार है। अतः इस पाठ में लेख या कहानी के माध्यम से कानून की मुख्य बातें व उस तरफ बढ़ने के लिए, स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों को दिखाया जा सकता है।

e/;kà Hkkstu ij d{kk 4 ;k 5 esa ikB dk gksuk & बच्चों के स्कूली जीवन में मध्याह्न भोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुपोषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार बच्चों को स्कूलों में पका पकाया भोजन देने का काम कर रही है। आज भी यह एक यथार्थ है कि परिवार की कठिन परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे बिना कुछ खाये भी स्कूल आ जाते है। और कई बार स्कूलों में मध्याह्न भोजन न बनने के कारण उन्हें स्कूल अवधि में भूखे ही रह जाना पड़ता है। दूसरी तरफ यह बात फैला दी गयी है कि मध्याह्न भोजन इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चे नियमित आयें। एक अन्य बात फैला दी गयी है कि माता–पिता मध्याह्न भोजन के लिए ही बच्चों को स्कूल भेजते है। इन भ्रांतियों को भी तोड़ने की जरूरत है तथा मध्याह्न भोजन की जरूरत व बेहतर प्रबंधन से सभी को जोड़ने की आवश्यकता है।

मध्याह्न भोजन के दौरान कई तरह के भेदभाव जाने अनजाने होते रहते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भोजन वितरण या पकाने में न जोड़ना। कई बार बच्चे आपस में दूरी रखते हैं। या फिर भोजन बनाने/देने वाले व बच्चों के बीच भी कुछ मौकों पर समस्या हो जाती होगी। कई बार समुचित व्यवस्था न होने के कारण। स्वच्छता व साफ सफाई, पोशण, बच्चों के अधिकार पर बात करने के लिए भी मध्याह्न भोजन एक बेहतर संदर्भ देता है।

इन सब बातों को लेकर एक पाठ हो जिसके माध्यम से बच्चे मध्याह्न भोजन के प्रावधान व मीनू को जानें। साथ हीं बच्चे, शिक्षक, रसोइया आदि बिना भेदभाव के मध्याह्न भोजन का प्रबंधन करना सीखें। पाठ में अभ्यास के तौर पर बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाने, वितरण करने आदि का अवलोकन कर उसके बेहतरी पर कक्षा में चर्चा करे इस क्रम में वे ग्राम–प्रधान का साक्षात्कार ले सकते है। इस पाठ में निम्न बिन्दु हो सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन का मीनू व मात्रा का चार्ट, कार्य–प्रक्रिया आदि। चित्र के द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि इस दौरान बेहतर व्यवस्था कैसी हो सकती है। जैसे कि – भोजन करते समय बालक–बालिका एक साथ उपसमूहो में बैठे` हों।

5. *vfHkHkkod&f'k{kd ds lk>k iz;kl dk c<+kok nsus dh t:jr*

सभी बच्चों को नियमित स्कूल आना अच्छा लगे, बच्चों को सीखने का रोचक माहौल मिले ऐसा सभी शिक्षक और अभिभावक चाहते हैं। परन्तु कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाने के कारण निराश होकर एक–दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कई दिक्कतें शिक्षा तंत्र से समुचित मार्गदर्शन व संसाधन नहीं मिलने से भी पैदा होती हैं। शिक्षा तंत्र की तमाम कमियों के बीच अभिभावक व शिक्षक अपने साझा प्रयास से बच्चों को सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। अतः सरकार ऐसा माहौल बनाये जिसमें शिक्षक को विश्वास में लिया जाए तथा शिक्षक और अभिभावक मिलकर सभी बच्चों के सीखने के हक को बढ़ाने का काम करें। अभिभावक–शिक्षक मिल कर बच्चों के सीखने के अनुभवों, अभिरुचियों तथा भावनाओं को समझ सकते हैं। इस प्रकार दोनों की समझ बनेगी कि किस प्रकार स्कूल से लेकर घर, समाज में बच्चों को सीखने का बेहतर माहौल व अवसर दिया जाए। स्कूल के विकास व प्रबन्धन के लिए कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए यदि विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में प्रयास हो तो बेहतर समाधान निकल सकते हैं। बच्चों के माध्यम से या स्वयं से स्कूल को जैसा समझा गया है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। बेहतर स्कूल की संकल्पना बनायी जा सकती है। शिक्षा तंत्र से समुचित सहयोग लेने के लिए अभिभावक–शिक्षक मिल प्रयास कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति, अभिभावक सरकार से इसकी मांग कर सकते हैं व शिक्षको को बेहतर शिक्षण कार्य कर पाने के लिए अनुकूल अवसर बना सकते हैं।